

42912

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

इलाहाबाद
फूलपुर
15450030198501
450231523039

जारी दिनांक: 15/10/2015

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

श्री रोहित पटेल
श्री रामचन्द्र पटेल
श्रीमती उर्मिला देवी
चकनूरुददीनपुर उर्फ नगदिलपुर
फूलपुर
इलाहाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की कुर्मी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री रोहित पटेल पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उप्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक संपत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र:
पद:
स्थान:
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मूहर

सिगनेचर सिगनेचर केन्द्र फूलपुर
विष्णु शंकर मिश्र, केन्द्र प्रभारी
तहसील परिसर फूलपुर, फूलपुर, Allahabad
18/10/2015

Singh
Ashutosh
Kumar

Digitally Signed by Singh
Ashutosh Kumar
O=Government Of Uttar
Pradesh, OU=Revenue,
C=IN, CN=Singh Ashutosh
Kumar, S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
फूलपुर, इलाहाबाद
दिनांक: 15/10/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिगनेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।